परिशिष्ट-क

(पैराग्राफ 1.1.6 के संदर्भ में)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बीच तुलना

क्र.सं.	प्रतिमान	एनएआईएस	एमएनएआईएस	पीएमएफबीवाई
1.	**आवृत्त राज्य**	सभी राज्यों एवं यूटी योजना का विकल्प कर रहे हैं।	एनआईएस के समान	एनएआईएस समान
2.	**आवृत्त किसान**	अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगा रहे बंटाईदारों तथा काशतकारों सहित सभी किसान आवृत्तन के पात्र थे। योजना फसल ऋण का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए विकल्पित थी।	एनएआईएस के समान	एनएआईएस के समान
3.	**आवृत्त जोखिम**	'सभी जोखिम' बीमा	बुवाई विफलता कवर के लाभ के साथ 'सभी जोखिम'	एमएनएआईएस के समान
4.	**आवृत्त फसलें**	(क) खाद्य फसलें (अनाज,बाजरा,दालें) तथा तिलहन (ख) वार्षिक वाणिज्यिक (गन्ना, कपास, आलू, प्याज, अदरक, केला आदि)/बागवानी फसलें	एनएआईएस के समान	एनएआईएस के समान

5.	**बीमा इकाई**	बीमा का इकाई क्षेत्र ग्राम पंचायत, मंडल, होब्ली परिमण्डल, जिला, ब्लाक, तालूका आदि हो सकता है।	सभी फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत या अन्य समकक्ष इकाई का यूनिट क्षेत्र कम किया जाना।	आमतौर पर बीमा इकाई मुख्य फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत तथा अन्य फसलों हेतु ग्राम/ग्राम पंचायत से उच्चतर जैसे ब्लॉक, तालूका
6.	**सीमा पैदावार**	गेहूं एवं चावल हेतु पिछले तीन वर्षों तथा अन्य फसलों हेतु पिछले पांच वर्षों की औसत को क्षतिपूर्ति स्तर से गुना करके	सभी फसलों हेतु अधिकतम दो आपदा वर्षों को छोड़कर पिछले सात वर्षों की औसत को क्षतिपूर्ति स्तर से गुना करके	एमएनएआईएस के समान
7.	**बीमा राशि**	ऋणी किसान- लिए गए ऋण की राशि के बराबर गैर-ऋणी किसान-औसतन पैदावर के 150 प्रतिशत मूल्य तक	ऋणी किसानों के मामले में खेती की लागत के बराबर तथा यह एसएलसीसीसीआई द्वारा पहले ही घोषणा की गई है तथा अधिसूचित है। बीमाकृत राशि कम से कम संस्वीकृत/लिए गए फसल ऋण की राशि के बराबर होगी। गैर-ऋणी किसान-औसतन पैदावार के 150 प्रतिशत मूल्य की कीमत तक बीमाकृत राशि के बराबर	एमएनएआईएस के समान
8.	**प्रीमियम दर**	**<u>खरीफ मौसम</u>** 3.5 *प्रतिशत-तिलहन तथा बाजरा* 2.5 *प्रतिशत-अनाज, बाजरा एवं दालें* **<u>रबी मौसम</u>** 1.5 *प्रतिशत-गेहूं*	आईआरडीए के प्रावधानों के अनुसार मानक बीमांकिक पद्धति के माध्यम से प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु बीमांकिक प्रीमियम के साथ निवल प्रीमियम दरें (प्रीमियम आर्थिक सहायता के पश्चात किसानों द्वारा वास्तव	क. खरीफ (खाद्य एवं तिलहन) फसलों हेतु 2 प्रतिशत बीमाकृत राशि का अधिकतम प्रीमियमा। ख. रबी (खाद्य एवं तिलहन) फसलों हेतु बीमाकृत राशि का 1.5 प्रतिशत; तथा

		2 *प्रतिशत-अन्य खाद्य तथा तिलहन फसलें वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमांकिक प्रीमियम*	में देय प्रीमियम दरें)	ग. वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमाकृत राशि का 5 प्रतिशत।
9.	**प्रीमियम आर्थिक सहायता**	केवल छोटे तथा सीमान्त किसानों को 10 प्रतिशत जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना है।	सभी किसानों को 75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता सहित वास्तविक प्रीमियम जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना है।	बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) तथा किसानों द्वारा देय बीमा प्रभारों के बीच का अंतर सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप मे प्रदान किया जाएगा तथा इसे केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।
10.	**क्षतिपूर्ति स्तर**	क्षतिपूर्ति के तीन स्तर-90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत (निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम क्षेत्र) सभी फसलों हेतु उपलब्ध थे। बीमाकृत किसान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर क्षतिपूर्ति के उच्चतर स्तर को चुन सकते है।	एनआईएएस से न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।	(क) जोखिम अनुभवों तथा पिछले 10 वर्षों में गुणांक परिवर्तनों के आधार पर 70 प्रतिशत,80 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत। (ख) जिलों के ग्रुप पर सौंपा गया।
11.	**कार्यान्वयन अभिकरण (आईए)**	मार्च 2003 तक जीआईसी तथा इसके पश्चात एआईसी	दोनों एआईसी तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियां उनके द्वारा विशिष्ट मौसम हेतु उद्धत न्यूनतम प्रीमियम के आधार पर जिला स्तर पर आईए के स्प में नियुक्त के योग्य थे।	दोनों एआईसी तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियां आईए के रूप में नियुक्ति के योग्य थे। छोटे राज्यों में एफआईए की नियुक्ति की जाती है। बड़े राज्यों में दो या तीन आईए की नियुक्त की जाती है। आईए का चयन कम से कम तीन वर्षों के लिए होना चाहिए।

12.	**दावा देयता**	खाद्य फसलों तथा तिलहनों के मामले में, एकत्रित प्रीमियम के 100 प्रतिशत तक की दावा देयता एआईसी द्वारा वहन की जानी थी। इसके पश्चात केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने देयताओं को बराबर विभाजित किया। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में प्रथम तीन या पांच वर्षों में प्रीमियम के 150 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 200 प्रतिशत के अधिक की दावा देयता को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।	सभी दावों को आईए द्वारा पूरा किया जाना था। आईए को सकल प्रीमियम के 500 प्रतिशत से अधिक की समग्र हानि के प्रति संरक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर एक आपदा निधि को स्थापित किया जाना था।	बीमाकर्ता पर सभी दावा देयताओं तथा एकत्रित प्रीमियम के 350 प्रतिशत से अधिक अथवा राष्ट्रीय स्तर पर बीमाकृत राशि के 35 प्रतिशत को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाना है।
13.	**मौसमी अनुशासन**	ऋणी गैर-किसानों हेतु विस्तृत मौसमी अनुशासन निम्नानुसार थे: ऋणी किसान: खरीफ मौसम - नवम्बर तथा रबी मौसम - मई - गैर-ऋणी किसान: खरीफ मौसम -31 जुलाई तथा रबी मौसम के लिए-31 दिसम्बर	ऋणी/गैर ऋणी किसानों हेतु विस्तृत मौसमी अनुशासन निम्नानुसार थे: खरीब मौसम - 31जुलाई रबी मौसम - 31 दिसम्बर	एमएनआईएस के समान
14.	**पैदावार अनुमान हेतु अच्छी प्रौद्योगिकियों का उपयोग**	परम्परागत सीसीआई के माध्यम से पैदावर अनुमान	रिमोट सेरंसिग प्रौद्योगिकी (आरएसटी) के उपयोग के माध्यम से पैदावार अनुमान हेतु प्रारम्भिक अध्ययन	पैदावर अनुमान में आरएसटी, ड्रोन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रावधान तथा प्रारम्भिक अध्ययनों द्वारा वैधकरण के पश्चात कुछ सीसीआई का श्रेणीकरण तथा दावों के जल्दी निपटान को सुविधा प्रदान करने हेतु सीसीआई डाटा के यथार्थ एवं तीव्र संचारण हेतु स्मार्टफोन का उपयोग।

परिशिष्ट-ख

(पैराग्राफ 1.1.6 के संदर्भ में)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की तुलना

क्र.सं.	प्रतिमान	डब्ल्यूबीसीआईएस	पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस
1.	**आवृत्त राज्य**	योजना को चुनने वाले सभी राज्य तथा यूटी	योजना को चुनने वाले सभी राज्य तथा यूटी
2.	**आवृत्त किसान**	अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगा रहे बंटाईदारों तथा काशतकारों सहित सभी किसान आवृत्तन के पात्र थे। योजना फसल ऋण का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए विकल्पित थी।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
3.	**आवृत्त जोखिम**	प्रतिकूल मौसम परिस्थथियां जैसे कम/अधिक वर्षा, उच्च/निम्न तापमान, सूखा/नमी, मूसलाधार बारिश, आदि,	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
4.	**आवृत्त फसलें**	(क) मुख्य खाद्य फसलें(अनाज,बाजरा दालें)तथा तिलहन (ख) वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसले	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
5.	**बीमा इकाई/संदर्भ इकाई क्षेत्र (आरयूए)**	ग्राम पंचायत/राजस्व परिमण्डल/होब्ली/ब्लॉक तहसील आदि	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
6.	**डाटा आवश्यकता**	आरयूए हेतु संदर्भ मौसम स्टेशनों (आरडब्ल्यूएस) द्वारा दर्ज डाटा	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
7.	**बीमाकृत राशि**	ऋणी किसान-लिए गए ऋण की राशि के बराबर। गैर-ऋणी किसान-कम राशि परंतु बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं, का बीमा करने की मान्यता है।	बीमाकृत राशि ऋणी तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए समान होगी जो वित्त के पैमाने, जैसा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्णय किया गया है पर आधारित है। व्यक्तिगत किसान हेतु

			बीमाकृत राशि बीमाकृत राशि गुना अधिसूचित फसल का क्षेत्रफल के बराबर है।
8.	**प्रीमियम दर**	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किए जाने वाली 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता के साथ बीमांकिक प्रीमियम	पीएमएफबीवाई के बराबर प्रीमियम दर निम्नानुसार है: ➢ खरीफ खाद्य तथा तिलहन फसलों हेतु बीमाकृत राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत ➢ रबी खाद्य तथा तिलहन फसलों हेतु बीमाकृत राशि का 1.5 प्रतिशत; तथा ➢ वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसले हेतु बीमाकृत राशि का 5 प्रतिशत
9.	**प्रीमियम आर्थिक सहायता**	सभी किसानों को 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता जिसे केन्द्रों तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।	बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) तथा किसानों द्वारा बीमा प्रभारों के बीच के अंतर को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।
10.	**कार्यान्वयन अभिकरण (आईए)**	दोनों एआईसी तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियों को उनके द्वारा उद्धृत न्यूनतम प्रीमियम के आधार पर जिला स्तर पर आईए के रूप में नियुक्त किया गया था।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
11.	**दावा देयता**	सभी दावों को आईए द्वारा पूरा किया जाना था।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
12.	**दावों का मौसम में निपटान**	दावों का निपटान आरडब्ल्यूएस द्वारा दर्ज मौसम डाटा के आधार पर किया गया था। दावा - प्रक्रिया मौसम आंकड़ों की प्राप्ति पर आरंभ की गई थी।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान

13.	**मौसमी अनुमान**	ऋणी तथा गैर-ऋणी किसान-खरीफ मौसम हेतु -31 जुलाई तथा रबी मौसम हेतु - 31 दिसम्बर	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
14.	**पैदावार अनुमान हेतु अच्छी प्रौद्योगिकी का उपयोग**	एडब्ल्यूएस की स्थापना हेतु कोई विशिष्ट प्रतिमान नहीं	निजी अभिकरणों द्वारा एडब्ल्यूएस की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन करके जीओआई के सहयोग से पीपीपी मॉडल के अंतर्गत नए एडब्ल्यूएस की स्थापना की जानी है।